

FORM-I

(For linear projects)

Government of Rajasthan

Office of the District Collector, Dholpur

No. 3111

Dated: 2-11-2018

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

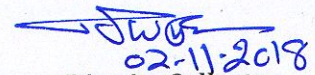
In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 4.27 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Public Works Department, Division-Bari, District-Dholpur. For Construction of BT Road from Sone Ka Gurja Road Km. 16/100 to Indora Village, in Dholpur district falls within jurisdiction of Gram Panchayat Dhondh Village Indora in Sirmathura tehsil.** (Forest compartment Mathara Khasara no. 921,921/1113 Area 2.484 hectares Indora Khasara no. 279,288,294,319 Area 0.1845,0.9180,0.34,0.3438 hectares) **Sirmathura Tehsil Dholpur district.**

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 4.27 hectares of forest area proposed for diversion. A Copy of records of all consultation and meetings of the Forest Rights Committee(s) ,Sub-Division Level Committee (S) and the District level Committee are Enclosed as Annexure 1,2.

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed

(c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.


02-11-2018
District Collector

Dholpur

कार्यालय जिला कलक्टर धौलपुर

क्रमांक:प.12/12/54/राजस्व/2015/3114

दिनांक 2.11.2018

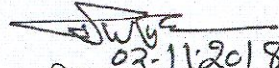
अधिशाषी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड बाडी

विषय : वन भूमि प्रत्यावर्तन के क्रम में ।

प्रसंग : आपका पत्र क्रमांक: 1807 दिनांक 10.9.2018 एवं क्रमांक 1811
दिनांक 10.9.2018

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में सोने का गुर्जा सड़क से इन्दौरा गांव (4.27 हैक्टे.), सोने का गुर्जा सड़क से उवासा गांव(1.44 हैक्टे.) सरमथुरा झिरी सड़क कि.मी. 9 से मल्लापुरा गांव 1.08 हैक्टे.), सरमथुरा झिरी सड़क किलोमीटर 18 से गिरौनिया गांव (1.26 हैक्टे.), धौध से खिदरपुर गांव (0.9 हैक्टे.), खरौली से अमानपुरा गांव (2.70 हैक्टे.) वन क्षेत्र में होने से प्रकरण वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी बाडी, सरमथुरा की सिफारिश एवं उपवन संरक्षक धौलपुर, उपवन संरक्षक (वन्य जीव) राष्ट्रीय चम्बल घडियाल अभ्यारण सवाई माधोपुर द्वारा जिला स्तरीय बैठक दिनांक 2.11.2018 में स्वीकृति अनुसार निर्धारित प्रमाण पत्र तैयार कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

संलग्न : प्रमाण पत्र मय बैठक कार्यवाही विवरण


02-11-2018
जिला कलक्टर
धौलपुर

कार्यालय जिला कलक्टर धौलपुर

क्रमांक:प.12/12/54/राजस्व/2015/3107

दिनांक 2.11.2018

बैठक कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 2.11.2018 को वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत भारत सरकार के पत्र क्रमांक/11-9/98-एफ सी दिनांक 3.8.2009 में दिये निर्देशानुसार जिला धौलपुर में सोने का गुर्जा सड़क से इन्दौरा गांव (4.27 हैक्टे.), सोने का गुर्जा सड़क से उवासा गांव (1.44 हैक्टे.) सरमथुरा झिरी सड़क कि.मी. 9 से मल्लापुरा गांव 1.08 हैक्टे.), सरमथुरा झिरी सड़क किलोमीटर 18 से गिरौनिया गांव (1.26 हैक्टे.), धौंध से खिदरपुर गांव (0.9 हैक्टे.), खरौली से अमानपुरा गांव (2.70 हैक्टे.) वन भूमि होने से उक्त भू भाग के लिए प्रत्यावर्तन (Diversion) हेतु प्रस्तावित किये जाने के सम्बन्ध में जिला स्तरीय वन अधिकार समिति धौलपुर की बैठक आयोजित कर चर्चा उपरान्त निर्णय लिया गया कि उक्त वन क्षेत्र में कुल 13 हैक्टेयर भूमि प्रत्यावर्तन (Diversion) की जानी प्रस्तावित है, इसमें किसी भी प्रकार के वनाधिकार पत्र नहीं होने व वनाधिकार की कोई कार्यवाही लम्बित नहीं होने से किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

जिला स्तरीय समिति द्वारा सोने का गुर्जा सड़क से इन्दौरा गांव (4.2703 हैक्टे.) के लिये, मदनपुर वन क्षेत्र (4.2703 हैक्टेयर) सोने का गुर्जा सड़क से उवासा गांव (1.44 हैक्टे.) के लिए वन क्षेत्र वाइल्ड लाइफ रामसागर सेंचुरी (1.44 हैक्टेयर), सरमथुरा झिरी सड़क कि.मी. 9 से मल्लापुरा गांव 1.08 हैक्टे.) के लिए वन क्षेत्र रीझोनी (1.08 हैक्टेयर), सरमथुरा झिरी सड़क किलोमीटर 18 से गिरौनिया गांव (1.26 हैक्टे.) के लिए वन क्षेत्र गिरौनिया (1.26 हैक्टेयर), धौंध से खिदरपुर गांव (0.9 हैक्टे.) के लिए वन क्षेत्र मदनपुर (0.90 हैक्टेयर), खरौली से अमानपुरा गांव (2.70 हैक्टे.) के लिए वन क्षेत्र रीझोनी (2.70 हैक्टेयर) कुल 13 हैक्टेयर भू भाग के लिए वनाधिकार अधिनियम की दृष्टि से प्रत्यावर्तन (Diversion) किये जाने की अनुशंसा की जाती है। निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र तथा बिला नाम भूमि आरक्षित किये जाने का आदेश पृथक से जारी किया जावे।

2.11.18
उपवन संरक्षक
धौलपुर

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद धौलपुर

2.11.2018
जिला कलक्टर
धौलपुर

31.12.18
अधीक्षण अभियन्ता
सा0नि0विभाग धौलपुर

31.12.18
अधिशाषी अभियन्ता
सा0नि0विभाग बाडी

31.12.18
अधिशाषी अभियन्ता
सा0नि0वि0 राजाखेडा

2.11.18
उपवन संरक्षक (वन्य जीव)
राष्ट्रीय चम्बल घडियाल अभ्यारण
सवाई माधोपुर

कार्यालय जिला कलक्टर धौलपुर (राजस्थान)

क्रमांक P012/12/54/राजस्व/2015/१०७१

दिनांक / नवम्बर 2018

1. श्रीमान उपवन संरक्षक धौलपुर
2. श्रीमान उपवन संरक्षक सवाई माधोपुर
3. श्रीमान मुख्य कार्यकारी जिला परिषद धौलपुर
4. अधीक्षण अभियन्ता सा0 नि0 वि0 धौलपुर
5. अधीक्षापी अभियन्ता सा0नि0वि0 बाडी/राजाखेडा

विषय: बैठक की सूचना बावत् ।

महोदय,

सपरोक्त विषयान्तर्गत श्रीमान जिला कलक्टर महोदय के निर्देशानुसार निवेदन है कि सड़क निर्माण हेतु वन भूमि के प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में जिला कलक्टर महोदय के अध्यक्षता में दिनांक 2.11.2018 को सांझ 4.00 बजे बैठक आयोजित की गई है । अतः आप नियत दिनांक एवं समय पर बैठक में उपस्थित होने का श्रम करें ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
धौलपुर

कार्यालय जिला कलक्टर धौलपुर

क्रमांक :-प.12/12/(54)राजस्व/2015/ 2032-40

दिनांक :- 3/10/18

आदेश

अधिशायी अभियंता सा.नि.वि. खण्ड बाड़ी द्वारा निवेदन किया गया है कि सोने का गुर्जा सड़क से इन्दौरा गांव (4.2003 हैक्टेयर), सोने का गुर्जा सड़क से उवासा गांव (1.44 हैक्टेयर), सरमथुरा झिरी सड़क कि.मी. 9 से मल्लापुरा गांव (1.08 हैक्टेयर), सरमथुरा झिरी सड़क कि.मी. 18 से गिरौनिया गांव (1.26 हैक्टेयर), धौध से खिदरपुर गांव (0.9 हैक्टेयर), खरौली से अमानपुरा गांव (2.70 हैक्टेयर) एवं अधिशायी अभियंता सा.नि.वि. खण्ड राजाखेड़ा की सड़क भूराखेड़ा से घेर गांव तक (1.35 हैक्टेयर) कुल 13 हैक्टेयर वन भूमि में सड़क निर्माण होने के कारण वन विभाग को अन्यत्र राजकीय बिलानाम भूमि उपलब्ध करवाई जावें। प्रकरण में उपखण्डाधिकारी बाड़ी, से वन विभाग को भूमि उपलब्ध करवाई जाने के लिये राजकीय बिलानाम भूमि का चयन कर प्रस्ताव प्राप्त किया गया उपखण्डाधिकारी बाड़ी ने ग्राम गुढामुतावली के सिवायचक तहसील बाड़ी की राजकीय बिलानाम खसरा नं० 971/2 रकवा 956.05 में से 51.07 बीघा (13 हैक्टेयर) भूमि वन विभाग को दी जाने के लिए प्रस्ताव अभिषंशा से साथ प्रेषित किया। उपवन संरक्षक धौलपुर ने उक्त प्रस्तावित भूमियां वनखण्ड से लगी होना तथा प्रबंधन/सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त होने से वनविभाग को दी जाने के लिए सहमति दी है।

अतः उपखण्डाधिकारी बाड़ी की अभिषंशा एवं उपवन संरक्षक धौलपुर की सहमति के अनुसार ग्राम गुढामुतावली तहसील बाड़ी की राजकीय बिलानाम खसरा नं० 971/2 रकवा 956.05 में से 51.07 बीघा (13 हैक्टेयर) भूमि को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के अंतर्गत वन विभाग राजस्थान सरकार के पक्ष में आरक्षित (सेटअपार्ट) की जाती है। तहसीलदार बाड़ी राजस्व रिकॉर्ड में अंकन के साथ-साथ नक्शे में आवश्यक तरमीम करें।

(जिला कलक्टर)
धौलपुर

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. उपखण्डाधिकारी, बाड़ी।
2. उपवन संरक्षक, धौलपुर।
3. अधीक्षण अभियंता सा.नि.वि. वृत्त धौलपुर।
4. तहसीलदार बाड़ी।
5. आदेश पंजिका।

(जिला कलक्टर)
धौलपुर

OFFICE OF THE SUB-DIVISIONAL SIRMATHURA , DISTRICT DHOLPUR RAJSTHAN

Proceedings of the meeting of the Sub-Divisional Level Committee Constituted under
Scheduled Tribes & Other Traditional Forest Dwellers
(Recognition of Rights) Act. (FRA), 2006

A meeting of the Sub-Division Level Committee of Sirmathura Sub- Division constituted Under FRA,2006 was Held Under The Chairmanship of Mr. Mohammad Tahir Khan (RAS) Sub- Divisional Officer Sirmathura Distt. Dholpur on 22.10.2018 at 11:00 AM at Sirmathura in Which the Application of the Executive Engineer PWD Div. Bari Claiming Rights in UPF of Madanpur Protected Forest measuring 4.27 Hect.for the Construction of **Public Works Department, Division-Bari, District-Dholpur. For Construction of BT Road from Sone Ka Gurja Road Km. 16/100 to Indora Village, Tehsil-Sirmathura, Distt. Dholpur** Under FRA, 2006 Duly processed and Recommended by the Tehsildar Sirmathura were Discussed to Consider the same for Recommendation to the District Level Committee.

After Scrutiny of the Documentas and Detailed Discussions. The Claim of Following applicants were Found to be in order and Recommended for admission of Distt. Level Committee

<u>Sr. No.</u>	<u>Name of Applicant</u>	<u>Name of Forest</u>	<u>Detail of Forest Right</u>
1	Executive Engineer PWD Div. Bari	Madanpur Protected Forest	Mathara Khasara no.921- 2.4840,921/1113-0.00 Indora Khasara no.279-0.1845,288- 0.9180,294-0.34,319-0.3438 Total:- 4.2703 Hect.

Ciaims of Following Applicants were not Found in order and hence rejected.

<u>Sr. No.</u>	<u>Name of Applicant</u>	<u>Name of Forest</u>	<u>Detail of Forest Right</u>
		NIL	

As informed by Tehsildar Sirmathura , no Application was Received Claiming Right in UPF Madanpur Protective Forest Area.



22/10/18
SDO cum Chairman
Sub-Division Level Committee
Sirmathura (Dholpur)

श्रीमान् उपखण्डाधिकारी महोदय,
हस्ताक्षर माली-जिला धौलपुर

विषय :- राजस्थान सरकार राजस्व (गुण-6) विभाग के परिपत्र क्रमांक.प.3(2) राज.
6/2003/पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 की पालना में राजस्थान भू
राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं राजस्थान भू राजस्व (भू.अ.0)
नियम 1957 के नियम 58,59,60 एवं 66,66 के अन्तर्गत स्थायी रूप से चालू
रास्ते को राजस्व अभिलेख में अंकित करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम मुराही, जिला धौलपुर की निम्नांकित भूमि
खसरा नम्बर वर्तमान में जमाबन्दी संवत्..... में सिवायचक/चरागाह/खातेदारी में अंकित
है। उक्त खसरा नम्बर के सम्मुख अंकित क्षेत्रफल में संलग्न राजस्व मानचित्र में लाल स्याही से
अंकितानुसार मौके पर स्थाई रूप से सार्वजनिक रास्ता बना हुआ है एवं उपयोग में आ रहा है।
किन्तु राजस्व अभिलेख में उक्त भूमि रास्ते के रूप में अभिलिखित नहीं है।

क्र.सं.	स्वामित्व का प्रकार :- सिवायचक/चरागाह/खातेदारी	ख.नं०	कुल रकबा	किस्म	रास्ते के रूप में उपयोग में आ रही भूमि का रकबा	वि०वि०
1-	गन्-विभाग (प्रधान)	921	152.00	जंगल	2.4840	
	गन्-विभाग	921	0.40	जंगल	—	संलग्न नक्शा
	गन्-विभाग (उन्नीस)	273	0.42	जंगल	0.1845	संलग्न नक्शा
	— II —	288	20.30	जंगल	0.1180	
	— II —	354	1.90	जंगल	0.2600	
	— II —	319	3.58	जंगल	0.3438	
					4.2503	

उपरोक्त भूमि पर किसी न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभाव नहीं है। अतः निवेदानुसार
सार्वजनिक रास्ते के रूप में उपयोग में आ रही भूमि को संलग्न मानचित्र (नकल नक्शा ट्रेस) में
लाल स्याही से अंकितानुसार राजस्व मानचित्र एवं राजस्व रिकार्ड में रास्ते के रूप में दर्ज किया
जाना उचित है।

हस्ताक्षर भू०अभि०निरी०

हस्ताक्षर पटवारी

मेरे द्वारा प्रस्तावित भूमि का मौका निरीक्षण किया गया, भूमि राजस्व रिकार्ड में रिपोर्ट
पटवारी/भू०अभि०निरी० अनुसार दर्ज है। उक्त भूमि मौके पर सार्वजनिक रास्ते के उपयोग में आ
रही है जिसे परिपत्र में प्रदत्त निर्देशानुसार राजस्व रिकार्ड में रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने की
अभिशांषा की जाती है।

तहसीलदार (भू.अ.)

तहसीलदार (भू.अ.) सहायक जिला